प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा एवं गौतमबुद्धनगर ।

राजस्व अनुभाग—10 लखनऊःदिनांकः 27 मार्च, 2020

विषयः— वित्तीय वर्ष 2019—20 में नोवल करोना वायरस (कोविड—19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल संस्थानों में आवश्यक उपकरणों / कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—783 / 71—2—2020—698 / 2020 टीसी, दिनांक 26 मार्च, 2020 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव / अनुरोध के क्रम में नोवल करोना वायरस (कोविड—19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल संस्थानों में आवश्यक उपकरणों / कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 1,50,000,00 / — (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित** जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

जनपद का नाम		स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	इटावा	50.00
2	गौतमबुद्धनगर	100.00
	कुल योग	**150.00**
		(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उपरोक्त धनराशि से कोरोना वायरस (कोविड—19) के प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों / कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने तथा क्वारन्टाइन वार्ड्स की स्थापना के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर / गाईडलाइन्स पर सम्बन्धित मेडिकल संस्थानों के कुलपति / निदेशक द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

27/3/2020

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 159(1)/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

सचिव।